भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं0 980**

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय रबड़ नीति तैयार करने के लिए
विशेषज्ञ समिति

980. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौड़ाः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय रबड़ नीति तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने कोई सुझाव/अनुरोध प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने बढ़ते आयात की तुलना में रबड़ के घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट के कारणों का पता लगाया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कम करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) राष्ट्रीय रबड़ नीति तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) और (ग) वर्ष 2013-14 में प्रतिकूल मौसमी दशाओं, लीफ डिज़ीज़ की घटना और रबड़ की कमतर कीमतों के कारण प्राकृतिक रबड़ की कम टैपिंग के परिणामस्वरूप प्राकृतिक रबड़ के घरेलू उत्पादन में कमी आई थी ।

अनुमानित उत्पादन तथा देश में प्राकृतिक रबड़ के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन एवं आयात (टन में)		
वर्ष	**उत्पादन**	**आयात**
2010-11	861950	190692
2011-12	903700	214433
2012-13	913700	262753
2013-14	774000	360263
2014-15 अ.	645000	442130

अ. - अनंतिम

हाल ही में सरकार ने आयातों के विनियमन हेतु शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क " 20 प्रतिशत अथवा 30 रूपये प्रति कि.ग्रा., जो भी कम हो " से बढ़ाकर दिनांक 30.04.2015 से " 25 प्रतिशत अथवा 30 रूपये प्रति कि.ग्रा., जो भी कम हो ", कर दिया है । सरकार ने अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत आयातित शुष्क रबड़ की उपयोग अवधि को भी 18 माह से घटा कर 6 माह कर दिया है । उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में 12 वीं योजना में सब्सिडी दर को बढ़ा कर परम्परागत क्षेत्र में 25 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर तथा गैर - परम्परागत क्षेत्र में 35 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर, जिसमें विकास लागतों का क्रमश: 8 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हिस्सा कवर होता है, शामिल है ।

******